संख्या-515/2025/2693/22-2-2022-17(994)/2019

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 30 मई, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गुलजार पुत्र श्री इन्तजार, निवासी जनपद-बिजनौर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-29060/प्रो0/197/पार्ट-।।, दिनांक 09.09.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गुलजार पुत्र श्री इन्तजार, काजीपाडा वर्तमान-मो0 बुखारा झालू अड्डे के पीछे, थाना-कोतवाली शहर, जनपद-बिजनौर का निवासी है। दिनांक 13.10.2002 को 07 वर्षीय कुमारी गुलिस्ता नामक लड़की के साथ बलात्कार किया और उसके बाद गले में नाड़ा से बांधकर उसकी हत्या करने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-08/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302, 376 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,(कोर्ट सं0-06), बिजनौर के आदेश दिनांक 28.05.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 21.02.2019 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.01.2021 तक 18 वर्ष, 03 माह, 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष, 10 माह, 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- बन्दी द्वारा 07 वर्षीय कुमारी गुलिस्ता नामक लड़की के साथ बलात्कार किया और उसके बाद गले में नाड़ा से बांधकर उसकी हत्या करने का घृणित एवं जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अतएव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत सिद्धदोष बन्दी गुलजार पुत्र श्री इन्तजार की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी गुलजार (बन्दी संख्या-47575) पुत्र श्री इन्तजार, निवासी जनपद-बिजनौर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-515/2025/2693(1)/22-2-2022 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (क्रि0) संख्या-162/2019 निसार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के साथ सम्बद्ध अन्य रिटों में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2022 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।